

पत्र सं०-2प/वि०-17-66/2024 / 4465 / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन
संयुक्त सचिव

सेवा में,

लोक प्रहरी-सह-प्रमंडलीय आयुक्त,
पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णिमा।

पटना, दिनांक 25/3/2025

विषय:- श्रीमती बीना देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत-चातर, जिला-अररिया के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-18 (5) के तहत कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका ज्ञापांक-3006 दिनांक-05.07.2024।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्रीमती बीना देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत-चातर, प्रखंड-अररिया, जिला-अररिया के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-18(5) के तहत कार्रवाई कर उन्हें पदमुक्त करने की अनुशंसा की गयी है। श्रीमती बीना देवी, मुखिया के विरुद्ध आरोप है कि उनके द्वारा बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में दायर शपथ पत्र के साथ दी जाने वाली सूचना/तथ्यों को छुपाया गया है।

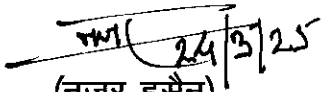
ज्ञातव्य हो कि संदर्भित मामला पंचायत निर्वाचन में नामांकन के समय कतिपय तथ्यों की जानकारी नहीं देने या उसे छुपा लेने से संबंधित है, जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-125 (क) के अधीन आच्छादित है। धारा-125 (क)(3) के प्रावधान के अनुसार सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहने या जानबूझकर मिथ्या सूचना देने या अपने शपथ पत्र में किसी सूचना को छिपाने हेतु ऐसे व्यक्ति को एक अवधि के कारावास से, जिसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। स्पष्टतः ऐसे मामले सक्षम न्यायालय के समक्ष ही लाये जा सकते हैं और न्यायालय ही इस मामले में अंतिम निर्णय लेगा। अधिनियम की धारा- 136 (क) में उन निरहर्ताओं का उल्लेख है, जिसपर सुनवाई कर विनिश्चय करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्राधिकारिता प्राप्त है। धारा-136 (1) में धारा-125 (क) के प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया गया है। धारा-125 (क) Stand alone प्रावधान है एवं इसके अधीन केवल सक्षम न्यायालय ही दंड का विनिश्चय कर सकता है।

P.T.O

वर्तमान मामले में न तो धारा 125-क के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र की समीक्षा के समय तथ्यों को छिपाने से संबंधित बिन्दु उठाया गया, न ही निर्वाचन के बाद धारा 125-क के तहत सक्षम न्यायालय के समक्ष कुल मुकदमा दायर किया गया और न ही धारा-137 के अंतर्गत विहित समय सीमा के अंतर्गत चुनाव याचिका दाखिल की गयी। इस प्रकार श्रीमती बीना देवी का मुखिया के रूप में निर्वाचन Absolute हो गया है।

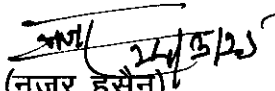
अतः उपर्युक्त के आलोक में श्रीमती बीना देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत-चातर, प्रखंड-अररिया, जिला-अररिया के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-18(5) के अधीन कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है।

विश्वासभाजन

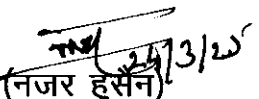

(नजर हुसैन)

संयुक्त सचिव

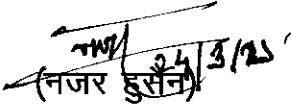
ज्ञापांक -2प/वि०-17-66/2024/4465/पं०रा० पटना, दिनांक 25/3/2025
प्रतिलिपि- सभी लोक प्रहरी-सह-प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -2प/वि०-17-66/2024/4465/पं०रा० पटना, दिनांक 25/3/2025
प्रतिलिपि- श्रीमती बीना देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत-चातर, प्रखंड-अररिया, जिला-अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।


(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -2प/वि०-17-66/2024/4465/पं०रा० पटना, दिनांक 25/3/2025
प्रतिलिपि- आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये।


(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव